दुग्ध और दुग्ध उत्पाद सलाहकार बोर्ड ।

510. श्री अजीत जोगी :
चौधरी हरि सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दुग्ध तथा दुग्ध-उत्पाद सलाहकार बोड का गठन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बोर्ड के क्या उद्देश्य हैं ;

(ग) इस बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं ; और

(घ) क्या इस बोर्ड ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है ; यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद आदेश 1992 के पैरा 3 के उप पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सरकार ने दिनांक 17 फरवरी, 1993 को दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद सलाहकार बोर्ड का गठन किया ।

(ख) दुग्ध एंव दुग्ध उत्पाद सलाहकार बोर्ड के कार्य नीचे दिये जा रहे हैं:-

(1) यह बोर्ड, दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद के उत्पादन विनिर्माण, बिक्री, खरीद और वितरण तथा इनसे संबंधित बातों पर केन्द्रीय सरकार को सहायता मदद और सलाह देगा ।

(2) इसके अतिरिक्त यह बोर्ड केन्द्रीय सरकार को निम्नलिखित से संबंधित बातों पर भी सलाह देगा:

(i) विभिन्न क्षेत्रों और मौसमों की असमान आपूर्ति को संतुलित करके सरभ दूध की सप्लाई और उपलब्धता को सुव्यवस्थित करना ।

(ii) दूध की सप्लाई को बनाए रखना और उसे बढ़ाया तथा उसका समान वितरण और उलब्धता सुनिश्चित करना ।

(iii) दूध और दुग्ध उत्पाद के नियंत्रण और आदान-प्रदान करने के उपयुक्त मानक और मानदण्ड स्थापित करना ।

(iv) दूध और दुग्ध उत्पाद के विनिर्माण की स्वच्छता और सास्थ्यप्रद स्थितियों के उच्च मानकों को बनाए रखना ।

(v) दुग्ध उत्पाद से संबंधित किसी भी उद्योग की स्थापना, प्रोत्साहन और पंजीकरण, तथा

(vi) अन्य ऐसे उद्देश्य, जो आवश्यक हो हों, अथवा इस आदेश के प्रभावी कार्यान्वयन से संबंधित हों ।

(3) जहां भी केन्द्रीय सरकार यह समझती है कि इस बोर्ड को विशेषज्ञता का उपयोग इस आदेश के प्रभावी कार्यान्वियन के लिये किसी भी प्रकार से किया जा सकता है, तो केन्द्रीय सरकार इस बात के लिए निदेश देने में सक्षम होगी कि वह इस आदेश के कार्यान्वियन से संबंधित किसी भी कार्य को इस बोर्ड से केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट शर्तों, प्रतिबंधों तथा सीमाओं के अधीन संपन्न कराए जिसके बाद बोर्ड उन कार्यों को संपन्न करने के लिए सक्षम होगा ।

(ग) दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद सलाहकार बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य हैं:-

(1) सचिव, पशुपालन एंव डेरी विभाग, कृषि मंत्रालय, अध्यक्ष भारत सरकार, नई दिल्ली । (पदेन)

(2) संयुक्त सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। — सदस्य (पदेन)

(3) संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। — सदस्य (पदेन)

(4) सहायक महानिदेशक (पी० एफ०ए०), स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। — सदस्य (पदेन)

(5) निदेशक, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, करनाल। — सदस्य (पदेन)

(6) प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, आनन्द — सदस्य (पदेन)

(7) प्रबंध निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेरी फेडरेशन, आनन्द — सदस्य (पदेन)

(8) श्री जे०जे० बख्शी, प्रबंध निदेशक, गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ, आनन्द। — सदस्य

(9) श्री सी०एन० मंचेगौड़ा, प्रबंध निदेशक, बंगलौर सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ मर्यादित, बंगलौर। — सदस्य

(10) श्री महेन्द्र कुमार जालान, मेसर्स केवेन्टर एग्रो लिमिटेड, श्री निकेत, 11, अशोक मार्ग, अलीपुर, कलकत्ता। — सदस्य

(11) श्री शैलेष आर० गांधी, मेसर्स वाडीलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, शुभंगम, प्लाट न० 24, गुलमोहर रोड, जे०वी०पी०डी० स्कीम, मुंबई-400049। — सदस्य

(12) संयुक्त सचिव (डेरी विकास), पशु पालन और डेरी विभाग, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली। — सदस्य (पदेन)

(घ) बोर्ड की अब तक कोई बैठक नहीं हुई है।

मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मत्स्य-पालन उद्योग का विकास

511. **श्री अजीत जोगी :**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मत्स्य-पालन उद्योग के विकास हेतु स्वीकृत की गई नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन राज्यों को योजना-वार कितनी-कितनी सहायता दी गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में अन्तर्देशीय मत्स्य विपणन की एक नई योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश के लिए कोई नई योजना स्वीकृत नहीं की गई है।

(ख) वर्तमान वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को चालू और नई योजनाओं के लिए अब तक दी गई केन्द्रीय सहायता इस प्रकार है :—

(राशि लाख रुपये में)

योजनाएं	उत्तर प्रदेश	मध्य प्रदेश
(1) ताजापानी मछलीपालन विकास	111.00	34.00
(2) मछुआरों के लिए कल्याण योजनाएं	1.31	2.00
(3) अन्तर्देशीय मत्स्य विपणन	10.00	—